"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 — भाद्रपद 4, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-13/2017/1-7. — दिनांक 16-08-2017 को जिला दुर्ग, विकासखण्ड धमधा, ग्राम राजपुर के शगुन गौशाला तथा दिनांक 18-08-2017 को जिला बेमेतरा, विकासखण्ड साजा, ग्राम गोडमर्रा के फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो के मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जानकारी संज्ञान में आई है.

2. घटना के लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जांच आयोग अधिनियम (1952 की संख्या 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार इस घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करता है, जिसके एकल सदस्य के रूप में श्री ए. के. सामन्त रे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व प्रमुख सचिव, विधि) को नियुक्त किया जाता है.

3. जांच के बिंदु निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

1. कितने पशुओं की मृत्यु, किन कारणों से हुई है?
2. क्या उक्त घटना घटित होने से रोकी जा सकती थी? घटना के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं?
3. घटना की पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य से गौशालाओं के समुचित प्रबंधन हेतु क्या-क्या सुधार किये जावें?
4. गौशाला पंजीयन एवं अनुदान तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने हेतु और क्या-क्या सुधार किये जावे?
5. गौशालाओं के प्रबंधन को अनवरत रूप से व्यवस्थित रखने के लिए विधि के प्रावधानों को किस प्रकार प्रभावी बनाया जावे?
6. जांच के दौरान अन्य लोक महत्व के बिंदु जिनकी जांच करना आयोग आवश्यक समझे?

4. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.